न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 24/2024 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये घनश्याम सिंह सोलंकी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा – प्रार्थी	बनाम	1. कैलाश चन्द्र झंवर पुत्र कल्याणमल झंवर मैसर्स के.के. मिष्ठान्न भण्डार, छीपा बिल्डिंग के सामने, भीलवाडा ––विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार

2 विपक्षी स्वयं उपस्थित

आदेश

दिनांक 03.06.2024

राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक प 5(1) चिस्वा. /ग्रुप–3/2022 दिनांक 09.03.2023 एवं कमांक प 5(1) चिस्वा. /ग्रुप–3/2023 दिनांक 13.03.2024 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया हैं। जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरूद्व एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी कैलाश चन्द्र झंवर पुत्र कल्याणमल झंवर मैसर्स के.के. मिष्ठान्न भण्डार, छीपा बिल्डिंग के सामने, भीलवाडा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को अन्य सामग्री के साथ खोआ (मावा) इत्यादि का विकय कर रहा था। कैलाश चन्द्र झंवर पुत्र कल्याणमल झंवर मैसर्स के.के. मिष्ठान्न भण्डार, छीपा बिल्डिंग के सामने, भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि खाद्य कारोबारकर्ता की दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु अन्य खाद्य सामग्री के साथ खोआ (मावा) अलग अलग मात्रा की पैकिंग में रखी हुयी थी। मिलावट का शक होने पर वास्ते जांच हेतु एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना विकता को फॉर्म 5 ए मे दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार खोआ (मावा) नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। बाद जाँच नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 28.05.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष 31.05.2024 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में आज विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी स्वयं उपस्थित हैं।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना खोआ (मावा) सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने खोआ (मावा) में Milk Fat % by wt. (on dry basis) 27.37 पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत यह 30.0 से कम नही होना चाहिए था। इसी प्रकार Total Solid % by wt. 53.59 पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत यह 55.0 से कम नही होना चाहिए था। इसी प्रकार Titratable acidity (as % lactic acid) 1.34 पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत यह 0.9 से अधिक नही होना चाहिए था। इसी प्रकार R. M. Value 13.86 पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत यह 24.0 से कम नही होना चाहिए था। इसी प्रकार Butyro – refractometer reading at 40^0 C – 48.37 पाया गया गया जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत यह 40.0 से 44.0 होना चाहिये। इसलिए लिया गया खाद्य नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। रेफरेल खाद्य प्रयोगशाला मैसूर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

विपक्षी ने अपनी बहस में बताया विपक्षी की दुकान पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से पांच छः दिन बंद रही जिससे माल खराब हो गया था। किसी प्रकार की मिलावट नहीं करता हैं विपक्षी ने जानबूझकर कोई गलती नही की हैं। विपक्षी की गलती को माफ किया जाये। निवेदन हैं कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कार्यवाही ड्रोप की जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। <u>रेफरल खाद्य प्रयोगशाला मैसूर से जाँच रिपोर्ट सं. 213 एफ/एफएसएसए/2024 दिनांक 25.03.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, खोआ (मावा) निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने खोआ (मावा) में **Milk Fat % by wt. (on dry basis) 27.37** पाया गया जबकि खाद्य</u>

जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)

अधिनियम के तहत यह 55.0 से कम नही होना चाहिए था। इसी प्रकार Titratable acidity (as % lactic acid) 1.34 पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत यह 0.9 से अधिक नही होना चाहिए था। इसी प्रकार R. M. Value 13.86 पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत यह 24.0 से कम नही होना चाहिए था। इसी प्रकार Butyro – refractometer reading at 40^0 C – 48.37 पाया गया गया जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत यह 40.0 से 44.0 होना चाहिये। इसलिए लिया गया खाद्य नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी सबस्टैण्डर्ड खोआ (मावा) का विक्रय करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड खोआ (मावा) का विक्रय किया हैं, जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन हैं एवं जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित हैं। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूवरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत विपक्षी पर 1,10,000/–रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उक्त शास्ति राशि जरिये चालान निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर जमा करा कर चालान की प्रति इस कार्यालय में पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि विपक्षी से निर्णयानुसार शास्ति राशि जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

2 श्री कैलाश चन्द्र झंवर पुत्र कल्याणमल झंवर मैसर्स के.के. मिष्ठान्न भण्डार, छीपा बिल्डिंग के सामने, भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि जरिये चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट